जिला योजना
संख्याः 1482/I/2005-03(1)/18/04

प्रेषकः

डा0 एम0सी0 जोशी
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

ऊर्जा विभागः देहरादूनः दिनांक 18 मार्च, 2005

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिये अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 117/I/2004-03(1)/18/04 दिनांक 18.11.2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को जिला सेक्टर में वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अन्तर्गत सौर ऊर्जा से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओ हेतु आयोजनागत में रू0 1,86,20,000/– (रू0 एक करोड़ छियासी लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आहरित कर व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर उनके लिये अनुमोदित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2– निदेशक, उरेडा द्वारा जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय के अनुसार जनपदवार/योजनावार फांट कर जिला/शासन को अवगत कराया जायेगा।

3– फॉट करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित जनपद के लिये जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं कार्यो के लिये ही धनराशि आबंटित की जायेगी एवं एक जनपद से दूसरे जनपद में परिव्यय स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा एवं जनपद में परिव्यय का पुनर्विनियोग अनुश्रवण समिति के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर योजनावार प्राप्त केन्द्रांश की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

5– स्वीकृत धनराशि के बिल उरेडा के परियोजना अधिकारी, उरेडा द्वारा तैयार कर एवं जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार से धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6– व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, फाईनैन्सियल हैण्डबुक, स्टोर पर्चेज मूल्य मितव्ययता टैण्डर के विषय में निर्गत आदेश एवं अन्य के, सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा, यदि कार्य पर स्वीकृति के पूर्व किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वे भी प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

9– भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं में लघु विद्युत परियोजना के विस्तार/घराट हेतु केन्द्रांश अवमुक्त होने पर ही उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि केन्द्रांश/राज्यांश के रुप में कोषागार से आहरण किया जायेगा। जिन योजनाओं में पूर्व में धनराशि अवमुक्त की गई है और उसका उपयोग नहीं हुआ है, उसका 80 प्रतिशत तक उपयोग के उपरान्त ही उक्त मदों में धनराशि आहरित की जायेगी।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला योजनाओं के अन्तर्गत अनुमोदित हों और जनपदवार एवं योजनावार परिव्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो। अनुमोदित योजना व परिव्यय के बाहर योजना की स्वीकृति का समस्त दायित्व सम्बन्धित जनपद के प्रोजेक्ट आफिसर का ही माना जायेगा।

11- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु भी सम्बन्धित जनपद को प्रोजेक्ट आफिसर का पूर्ण उत्तरदायित्व माना जायेगा।

12- निर्माण कार्य व अनुरक्षण की योजनाओं के लोक निर्माण विभाग की दर पर आगणन गठित कर उस पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

13- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2005 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा और उक्त तिथि तक कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। समय से धनराशि का उपयोग न करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर/सक्षम अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को यथासमय प्रेषित कर दिया जायेगा।

14- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला योजना में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान/ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत मात्राकृत परिव्यय/चिन्हीकृत लक्ष्यों की सीमा तक उक्त स्वीकृत धनराशि से व्यय क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बाहुल्य बस्तियों के लिये किया जायेगा।

15- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक 2810-वैकल्पिक ऊर्जा-02-सौलर एनर्जी-आयोजनागत-102-सौलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम -03-सौलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता-91-उरेडा के लिये अनुदान (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 857/वि0अनु-3/2004, दिनांक 17 मार्च, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः-1482/I/2005-03(1)/18/04, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3- निदेशक, उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा), देहरादून।
4- समस्त परियोजना अधिकारी, उरेडा, उत्तरांचल ।
5- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
6- अपर निजी सचिव, ऊर्जा मंत्री को मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
7- प्रभारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8- नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
9- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
10- विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु ।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव